

राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8197/2023

रॉबिन शाह पुत्र श्री मुन्ना शाह, उम्र लगभग 38 वर्ष, हाउस नंबर 313, रथखाना कॉलोनी, मक्कड़ भवन के पास, बीकानेर, राजस्थान (पूर्व अधिकारी स्केल-I, (पहचान संख्या 3998), राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, शाखा खाजूवाला, बीकानेर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (आर.एम.जी.बी.), इसके अध्यक्ष के माध्यम से, प्रधान कार्यालय- प्रधान कार्यालय- तुलसी टॉवर, 9 वीं बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर, राजस्थान।
2. मुख्य महाप्रबंधक (सतर्कता), (अनुशासनात्मक प्राधिकारी), राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (आर.एम.जी.बी.), प्रधान कार्यालय- तुलसी टॉवर, 9 वीं बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर, राजस्थान।
3. अध्यक्ष, (अपील प्राधिकारी), राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (आर.एम.जी.बी.), प्रधान कार्यालय- तुलसी टॉवर, 9 वीं बी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री सत्य प्रकाश शर्मा
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री अनिल भंडारी

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् फरजंद अली

आदेश

आदेश उच्चारण : 21/01/2025

आदेश आरक्षित : 13/08/2024

(डी.बी. एसएडब्ल्यू/262/2025 एवं 1 अन्य इस मामले में दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

रिपोर्टयोग्य

1. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट याचिका आदेश दिनांक 27.07.2022 (अनुलग्नक 1), जिसके द्वारा उसके विरुद्ध संचालित विभागीय जांच के अनुसरण में, प्रतिवादी बैंक के अनुशासनिक प्राधिकारी ने उसे 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' का दंड दिया और आदेश दिनांक 14.11.2022 (अनुलग्नक 2), जिसके द्वारा अपीलीय प्राधिकारी ने उपरोक्त आदेश के विरुद्ध उसके द्वारा प्रस्तुत विभागीय अपील को खारिज कर दिया, से व्यथित होकर दायर की है।
2. संक्षेप में कहा जाए तो, मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति आदेश दिनांक 14.12.2013 के माध्यम से प्रतिवादी बैंक में अधिकारी स्केल-I (कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-I) के रूप में नियुक्त किया गया था। परीक्षा अवधि पूरी होने के बाद, उसे शाखा प्रबंधक का प्रभार दिया गया था। जब याचिकाकर्ता प्रतिवादी बैंक की फतेहगढ़ शाखा में कार्यरत था, तब उसे एक कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक 9) तामील कराया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसने केसीसी और एटीएल ऋण योजना के तहत 5 किसानों को उस सीमा से अधिक ऋण स्वीकृत और संवितरित करके बैंक के परिपत्रों का उल्लंघन किया है जिसके लिए वह प्राधिकृत था और इस प्रकार, उसने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का गलत उपयोग किया। यह आगे आरोप लगाया गया था कि इन ऋणों का बीएमडीपी आरबीओ कार्यालय को अभिलिखित नहीं कराया गया था। एक अन्य आरोप यह था कि उसने यात्रा भत्ता बिलों का झूठा दावा किया और बिलों को पास कराया तथा उसने अपने अधीनस्थ

(डी.बी. एसएडब्ल्यू/262/2025 एवं 1 अन्य इस मामले में दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

चंद्र प्रकाश के यात्रा भत्ता बिलों को भी मंजूरी दी, जो उसकी शक्तियों के दायरे में नहीं था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होने पर, प्रतिवादी बैंक ने कारण बताओ नोटिस में निहित आरोपों के संबंध में उसके विरुद्ध अनुशासनिक जांच करने की कार्यवाही की और तदनुसार, आरोपों के अनुच्छेदों के साथ आरोप-पत्र ज्ञापन दिनांक 04.07.2020 याचिकाकर्ता को जारी किया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम - 2010 (संक्षेप में, '2010 के विनियम') के विनियम 39(1)(b) के तहत आरोपों का सामना करने के लिए रखा गया। आरोप-पत्र में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुल 5 आरोप लगाए गए थे, जो इस प्रकार हैं:-

दोषारोपण विवरण:-

दोषारोपण संख्या एक-

- परिपत्र संख्या/का.प्र.प्र. / 106/2014-15 दिनांक 30.10.2014 के अनुसार शाखा प्रबंधक, स्केल-1 को प्रदत्त विवेकाधिकारों का उल्लंघन कर केसीसी खाता संख्या 83038550272, 83037429178, 83037066064, 83036283376 एवं 83037356946 में प्रथम वर्ष हेतु रूपये 3 लाख से अधिक केसीसी ऋण सीमा स्वीकृत / वितरित की गई।

दोषारोपण संख्या दो-

निम्नांकित ऋण खातों की बीएमडीपी क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित तो की गई, परन्तु क्षेत्रीय कार्यालय से अनुसरण संख्या/अग्रिम/123/2013-14 कर नोटेट नहीं करवायी गयी है जो परिपत्र परिपत्र 24.01.2014 व दिनांक संख्या/45/निअंके-1/2016-17 दिनांक 28.01.2016 के निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है। :-

83038550272, 83037429178, 83037066064, 83036283376, 83037356946, 83038553193, 83037430296

दोषारोपण संख्या तीन:-

(डी.बी. एसएडब्ल्यू/262/2025 एवं 1 अन्य इस मामले में दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

श्री रोबिन शाह ने अपने स्वयं का माह दिसंबर, 2017 के मोबाईल खर्च का पुर्नभरण राशि रु 200/- बिना बिल के ही भुगतान पारित कर खाता संख्या 83007786747 में दिनांक 01.01. 2018 को जमा अंतरित कर दिया गया।

दोषारोपण संख्या चार-

दिनांक 03.03.2017, 21.03.2017, 22.03.2017 एवं 23.03.2017 की यात्राओं का यात्रा भत्ता बिल दिनांक 03.07.2017 राशि रु 1500/- क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय बीकानेर से स्वीकृत किये बिना ही कमियां दर्शाकर वापस लौटा दिया गया था। श्री रोबिन शाह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ही दिनांक 18.07.2017 को उक्त यात्रा भत्ता बिल का भुगतान राशि रूपये 2250/- स्वयं के खाता संख्या 83007786747 में जमा अन्तरित कर बैंक निधी का निजी हित में दुरुपयोग कर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी हैं।

श्री रोबिन शाह द्वारा परिपत्र संख्या / काप्रप्र-06/69/2016-17 दिनांक 16.08.2018 के अनुसार प्रदत्त विवेकाधिकारों का उल्लंघन कर यात्रा भत्ता बिल दिनांक 03.07.2017 राशि रु 1500/- का भुगतान राशि रूपये 2250/- से अपने स्वयं के स्तर से किया गया हैं।

दोषारोपण संख्या पांच-

परिपत्र संख्या काप्र/01/32/2017-18 दिनांक 18.05.2017 के अनुसार प्रदत्त विवेकाधिकारों का उल्लंघन कर निम्नांकित यात्रा भत्ता बिल स्वीकृत कर भुगतान किये गये हैं।:-

क. सं.	कार्मिक का नाम	आई. डी	पद नाम	यात्रा दिनांक	यात्रा भत्ता बिल		स्वीकृत		भुगतान	
					रशि	दिनांक	राशि	दिनांक	राशि	दिनांक
1	श्री चन्द्र प्रकाश	5123	अधिकार ी स्केल-	31.08.2017 एवं 27.09.2017	158 0	09.08 .2017	नहीं	नहीं	1580	29.09.2017
2	श्री चन्द्र	5123	अधिकार	26.07.2017 ,	321 8	09.08 .2017	-	-	3018	11.08.2017

(डी.बी. एसएडब्ल्यू/262/2025 एवं 1 अन्य इस मामले में दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

	प्रकाश		ी स्केल-	27.07.2017 , 29.07.2017 एवं 30.07.2017					200	19.09.2017
--	--------	--	-------------	--	--	--	--	--	-----	------------

3. याचिकाकर्ता ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए और अपनी बेगुनाही की दलील देते हुए उपरोक्त आरोप-पत्र का एक विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी बैंक प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं था, इसलिए, उसके विरुद्ध नियमित अनुशासनिक जांच करने की कार्यवाही की और जांच अधिकारी नियुक्त किया, जिसने जांच संचालित करने के बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 08.04.2022 (अनुलग्नक 18) प्रस्तुत की, जिसमें उसने याचिकाकर्ता के विरुद्ध सभी आरोपों को सिद्ध पाया। अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और आदेश दिनांक 20.06.2022 के माध्यम से "सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति" की शास्ति अधिरोपित करने की प्रस्थापना की और इस संबंध में याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा। याचिकाकर्ता ने अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। अनुशासनिक प्राधिकारी ने आक्षेपित आदेश दिनांक 27.06.2022 (अनुलग्नक 1) के माध्यम से सभी आरोपों को सिद्ध घोषित करते हुए, याचिकाकर्ता को "बिना किसी सेवा लाभ के सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति" का दंड दिया। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेश के विरुद्ध विभागीय अपील प्रस्तुत की, जिसे भी दिनांक 14.11.2022 (अनुलग्नक 2) के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। उपरोक्त से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत रिट याचिका दायर की है।

(डी.बी. एसएडब्ल्यू/262/2025 एवं 1 अन्य इस मामले में दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रतिवादी बैंक द्वारा संचालित विभागीय जांच नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन से ग्रसित है। यह निवेदन किया गया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को जांच की कार्यवाहियों में भाग लेने का निर्देश दिया गया था और तदनुसार, उसने उसमें भाग लिया, लेकिन जांच की कार्यवाहियां मात्र एक औपचारिक खानापूति थीं क्योंकि अधिकांश प्रासंगिक रिकॉर्ड, जो कि महत्वपूर्ण था, याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं किया गया था और 5 ऋण खाताधारकों में से किसी को भी साक्ष्य देने के लिए नहीं बुलाया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित संक्षिप्त विवरण पर भी विचार नहीं किया गया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि कुल 21 ऋण खाते थे जिनमें बीएमडीपी अभिलिखित नहीं कराया गया था, लेकिन केवल 5 ऋण खातों के संबंध में आरोप लगाए गए, जिसमें बीएमडीपी की रिपोर्ट करने में देरी का आरोप था, जबकि सभी 21 ऋण खातों में, ऋण सीमा 3 लाख से अधिक थी, क्योंकि याचिकाकर्ता, यद्यपि अधिकारी स्केल-I का पद धारित कर रहा था, लेकिन चूंकि शाखा की श्रेणी स्केल-II शाखा की थी, इस नाते, वह 3 लाख रुपये से अधिक का ऋण देने की अपनी विवेकाधीन शक्तियों के भीतर था। यह भी निवेदन किया गया कि ऑडिट आपत्ति प्राप्त होने पर, यद्यपि वह यात्रा भत्ता दावे का हकदार था, लेकिन उसने इसे वापस (रिफंड) कर दिया। यह आगे निवेदन किया गया कि उसने अपने अधीनस्थ अधिकारी के यात्रा भत्ता दावे को सही ढंग से मंजूरी दी, जिसके विरुद्ध बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यह भी उल्लेख किया गया कि 5 ऋण खातों में से, एक खाता बंद है, दो खातों में नकद वसूली प्राप्त

हो चुकी है और भूमि बैंक के पक्ष में बंधक है इसलिए बैंक का धन सुरक्षित है। जहाँ तक 200/- रुपये का टेलीफोन बिल का संबंध है, यह निवेदन किया गया कि याचिकाकर्ता इसके लिए हकदार था। यह निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी की ओर से किसी भी कृत्य के कारण कोई हानि नहीं हुई। यह निवेदन किया गया है कि जांच अधिकारी ने बचाव के साक्ष्यों और याचिकाकर्ता के प्रतिवेदनों पर विचार नहीं किया और सभी आरोपों को सिद्ध घोषित कर दिया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के घोर उल्लंघन में कार्य किया और स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना जांच अधिकारी के निष्कर्षों को सीधे स्वीकार कर लिया और यह सुनिश्चित नहीं किया कि आरोप किसी गंभीर गलत प्रयास (कदाचार) से युक्त था या प्रकृति में मामूली था, सीधे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कठोर शास्ति दे दी, जो न केवल स्तब्ध करने वाला और असंगत है बल्कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की गंभीरता के अनुरूप भी नहीं है।

5. विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अपीलीय प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील का विनिश्चय करते समय अपील के ज्ञापन में उठाए गए तर्कों और आधारों पर विचार नहीं किया और केवल उसी भाषा को अपनाया जो दंड के आदेश में उपयोग की गई थी और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए एक कारण-रहित आदेश पारित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को न्याय से वंचित होना पड़ा है।
6. विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया :-

(डी.बी. एसएडब्ल्यू/262/2025 एवं 1 अन्य इस मामले में दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

- (1) रतन सिंह संधू बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक [(2016) 3 स्केल 413]
- (2) इलाहाबाद बैंक बनाम कृष्ण नारायण तिवारी [(2017) एआईआर (एससी) 330]
- (3) यूओआई एवं अन्य बनाम आर.पी. सिंह [एआईआर 2014 एससी 2541]
- (4) यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रकाश कुमार टंडन [(2009) 2 एससीसी 541]
- (5) जी. वल्लीकुमारी बनाम आंध्र एजुकेशन सोसाइटी [(2010) एआईआर (एससी) 1105]
- (6) स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम सरोज कुमार मिश्रा [(2010) एआईआर (एससी) 3131]
- (7) मो. यूनुस खान बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. [(2010) 10 एससीसी 539]
- (8) निर्मला जे. झाला बनाम स्टेट ऑफ गुजरात एवं अन्य [एआईआर 2013 एससी 1513]

7. शास्ति के बिंदु पर न्यायालय को संबोधित करते हुए, विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि एक अपचारी कर्मचारी को दंड की मात्रा के संबंध में यह अनुशासनिक प्राधिकारी का विवेक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह ऐसी शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से और अपनी सनक और इच्छाओं पर कर सकता है, बल्कि दंड एक अपचारी को आरोपों की गंभीरता के अनुरूप अनुशासनिक प्राधिकारी के व्यक्तिनिष्ठ समाधान के आधार पर दिया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता के मामले में आरोप शाखा प्रबंधक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करते समय ऋणों के संवितरण में छोटी त्रुटियों से संबंधित हैं और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि उसने प्रतिवादी बैंक को कोई वित्तीय हानि पहुंचाई है या कोई धोखाधड़ी, जालसाजी, दस्तावेजों का कूटकरण या गबन किया है। ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कठोर दंड दिया जाना न्यायसंगत और

(डी.बी. एसएडब्ल्यू/262/2025 एवं 1 अन्य इस मामले में दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

आरोपों की गंभीरता के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने स्वयं प्रतिवादी बैंक के विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों के मामलों में पारित कई दंड आदेशों को रिकॉर्ड पर रखा है, जहाँ आरोपों के गंभीर प्रकृति के होने के बावजूद, जैसे कि बैंक के कार्य क्षेत्र से बाहर के व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत करना, जाली हस्ताक्षर करके खातों से पैसे निकालना, एटीएम कार्ड का अनधिकृत उपयोग, खाता विवरण बदलकर गबन और धोखाधड़ी करना, अनधिकृत रूप से केसीसी खाते की सीमा को संशोधित करना, बैंक के परिपत्रों का उल्लंघन करना, बाहरी व्यक्ति के साथ बैंक का पासवर्ड साझा करना, बाहरी व्यक्ति को बैंक के कंप्यूटर पर कार्य करने देना, ऋण राशि का दुरुपयोग होने देना, ऋण स्वीकृत करने के लिए अनधिकृत बिचौलियों से कमीशन लेना, अधिकार के बिना तीसरे पक्ष के खाते में ऋण राशि स्थानांतरित करना, क्षेत्रीय कार्यालय में ऋणों के बीएमडीपी को अभिलिखित न कराना, किफायती आवास ऋणों को निर्माण की प्रगति के अनुसार संवितरित करने के बजाय एकमुश्त संवितरित करना, साम्यापूर्ण बंधक के बिना ऋण संवितरित करना, उन्हें कम दंड देते हुए सेवा में बनाए रखा गया है। अतः, यह प्रार्थना की जाती है कि यदि यह न्यायालय विभागीय जांच की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं भी है, तो मामले पर याचिकाकर्ता को दिए गए दंड की मात्रा पर विचार किया जा सकता है।

8. इसके विपरीत, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र 2010 के विनियमों के विनियम 39(1)(b) के तहत जारी किया गया था,

(डी.बी. एसएडब्ल्यू/262/2025 एवं 1 अन्य इस मामले में दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

जो कि अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के सिद्ध होने पर बड़ी शास्ति का प्रावधान करता है। याचिकाकर्ता ने निर्धारित सीमा से अधिक ऋण स्वीकृत और संवितरित करके बैंक को भारी हानि पहुंचाई है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपित अन्य कदाचार भी अनुशासनिक जांच में सिद्ध पाए गए हैं। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि विभागीय जांच याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करके और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए 2010 के विनियमों के प्रावधानों के पूर्णतः अनुसार संचालित की गई थी और संपूर्ण प्रक्रिया में कोई प्रक्रियात्मक कमी नहीं है। अतः, इस संबंध में की गई न्यायिक घोषणाओं की प्रचुरता को देखते हुए, न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जहाँ तक दंड की मात्रा का संबंध है, याचिकाकर्ता के गंभीर कदाचार को देखते हुए, जिससे विश्वास भंग हुआ, उसे उचित दंड दिया गया है, जो किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है। अन्य कर्मचारियों को दिए गए कम दंड के संबंध में, विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रत्येक मामले के तथ्य भिन्न होते हैं और अनुशासनिक प्राधिकारी के पास मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपचारी को उचित दंड देने का विवेक होता है, इसलिए, याचिकाकर्ता न तो अपने मामले की तुलना अन्य कर्मचारियों से कर सकता है और न ही वह दंड के संबंध में समानता का दावा कर सकता है।

9. प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदनों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है :-

(1) सुरेश पाथरेला बनाम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स [एआईआर 2007 SC 199]

(डी.बी. एसएडब्ल्यू/262/2025 एवं 1 अन्य इस मामले में दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(2) रीजनल मैनेजर, यूपीएसआरटीसी, इटावा एवं अन्य बनाम होती लाल एवं अन्य [एआईआर 2003 SC 1462]

(3) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम बच्चन प्रसाद लाली [एआईआर 2022 SC 943]

(4) चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक एवं अन्य बनाम पी.सी. कक्कड़ [एआईआर 2003 SC 1571]

(5) दि चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बनाम एम.जे. जेम्स [एआईआर 2022 SC 582]

(6) दि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं अन्य बनाम रमेश चंद्र मीणा एवं अन्य [एआईआर 2022 SC 392]

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी बैंक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। लिखित अभिवचनों और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत (नजीर) निर्णयों सहित रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

11. आक्षेपित आदेश दिनांक 27.06.2022 के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी बैंक की खारबारा शाखा, बीकानेर शाखा के शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य करने के दौरान उसके द्वारा की गई कथित अनियमितताओं के लिए दिनांक 04.07.2020 को एक आरोप-पत्र जारी किया गया था। आरोप-पत्र में 5 आरोप शामिल थे, जो इस प्रकार हैं :-

(i) याचिकाकर्ता ने अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 ऋण खातों में 3 लाख रुपये की सीमा से अधिक केसीसी ऋण स्वीकृत किए, जो स्वीकृत ऋण सीमा से बाहर है।

(ii) उसने इन 5 ऋण खातों के बारे में क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय को बीएमडीपी अभिलिखित नहीं कराया।

(डी.बी. एसएडब्ल्यू/262/2025 एवं 1 अन्य इस मामले में दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

(iii) उसने दिसंबर 2017 के 200/- रुपये की राशि के अपने टेलीफोन बिल का भुगतान बिना बिल के प्राप्त किया।

(iv) उसने क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपने स्वयं के यात्रा भत्ता बिल को मंजूरी दी और अपने स्वयं के खाता संख्या में 2250/- रुपये का भुगतान किया।

(v) उसने शाखा प्रबंधक के रूप में अपनी विवेकाधीन शक्तियों का गलत प्रयोग करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारी श्री चंद्र प्रकाश, अधिकारी स्केल-I को 1580/- रुपये और 3280/- रुपये के यात्रा भत्ता बिल स्वीकृत किए और भुगतान किए, जो कि एक गंभीर कदाचार है।

याचिकाकर्ता ने उक्त आरोप-पत्र पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए अपना विस्तृत लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी बैंक ने अनुशासनिक जांच की कार्यवाही आगे बढ़ाई और जांच अधिकारी नियुक्त किया। बैंक के साक्ष्य बंद होने पर, याचिकाकर्ता को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, जिसका उसने लाभ उठाया। जांच के निष्कर्ष के बाद, जांच अधिकारी ने अनुशासनिक प्राधिकारी को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को 19.04.2022 को प्रदान की गई थी और उसे अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता ने 17.05.2022 को अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट, रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करने के बाद, सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति का प्रस्ताव किया। शास्ति अधिरोपित करने से पहले, याचिकाकर्ता को अपना बचाव/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था, जिसके अनुसरण में वह 27.06.2022 को अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ, उस दिन उसे मौखिक या लिखित रूप में अपना बचाव/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने

के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता ने 27.06.2022 को अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट, याचिकाकर्ता के उत्तर और रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों पर विचार करने के बाद दिनांक 27.06.2022 का आक्षेपित आदेश पारित कर याचिकाकर्ता को 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' की शास्ति प्रदान की।

11. यह सुस्थापित है कि न्यायालयों को विभागीय जांच में दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ ऐसे निष्कर्ष प्रत्यक्षतः दूषित हों या रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के साथ घोर रूप से असंगत हों, जो बिना किसी साक्ष्य पर आधारित हों। हालांकि, यदि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है या वैधानिक विनियमों का पालन नहीं किया गया है या अनुशासनिक प्राधिकारी पर दुर्भावना का आरोप लगाया जा सकता है, तो न्यायालय निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं।

12. उपरोक्त संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा बी.सी. चतुर्वेदी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य [1996 AIR 484] के मामले में की गई टिप्पणियां निम्नलिखित हैं :-

“12. न्यायिक समीक्षा किसी निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं है बल्कि उस तरीके की समीक्षा है जिससे निर्णय लिया गया है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो, न कि यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकारी जिस निष्कर्ष पर पहुँचता है वह न्यायालय की नज़र में आवश्यक रूप से सही हो। जब किसी लोक सेवक द्वारा कदाचार के आरोपों पर जांच संचालित की जाती है, तो न्यायालय/अधिकरण का सरोकार यह निर्धारित करने से होता है कि क्या जांच किसी सक्षम अधिकारी द्वारा आयोजित की गई थी या क्या नैसर्गिक न्याय के नियमों का अनुपालन किया गया है। क्या निष्कर्ष या परिणाम

कुछ साक्ष्यों पर आधारित हैं, जांच आयोजित करने की शक्ति से संपन्न प्राधिकारी के पास तथ्य या निष्कर्ष पर पहुँचने की अधिकारिता, शक्ति और प्राधिकार है। लेकिन वह निष्कर्ष कुछ साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। न तो साक्ष्य अधिनियम के तकनीकी नियम और न ही उसमें परिभाषित तथ्य के प्रमाण या साक्ष्य के नियम अनुशासनिक कार्यवाही पर लागू होते हैं। जब प्राधिकारी उस साक्ष्य को स्वीकार करता है और निष्कर्ष को उससे समर्थन प्राप्त होता है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी यह मानने का हकदार है कि अपचारी अधिकारी आरोप का दोषी है। न्यायालय/अधिकरण अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्ति में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और साक्ष्य पर अपने स्वयं के स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है। न्यायालय/अधिकरण वहाँ हस्तक्षेप कर सकता है जहाँ प्राधिकारी ने अपचारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाहियों को नैसर्गिक न्याय के नियमों के असंगत तरीके से या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक नियमों के उल्लंघन में संचालित किया हो या जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष या परिणाम बिना किसी साक्ष्य पर आधारित हो। यदि निष्कर्ष या परिणाम ऐसा हो जिस पर कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति कभी नहीं पहुँच सकता था, तो न्यायालय/अधिकरण निष्कर्ष या परिणाम में हस्तक्षेप कर सकता है, और राहत को इस तरह से ढाल सकता है ताकि इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों के उपयुक्त बनाया जा सके।

13. अनुशासनिक प्राधिकारी तथ्यों का एकमात्र न्यायाधीश है। जहाँ अपील प्रस्तुत की जाती है, वहाँ अपीलीय प्राधिकारी के पास साक्ष्य या दंड की प्रकृति का पुनर्मूल्यांकन करने की समविस्तीर्ण शक्ति होती है। एक अनुशासनिक जांच में, कानूनी साक्ष्य का सख्त प्रमाण और उस साक्ष्य पर निष्कर्ष प्रासंगिक नहीं होते हैं।"

13. उन व्यापक मापदंडों को निर्धारित करते हुए जिनके भीतर उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपनी शक्तियों और अनुशासनिक कार्यवाहियों से

(डी.बी. एसएडब्ल्यू/262/2025 एवं 1 अन्य इस मामले में दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

संबंधित मामलों का प्रयोग करना चाहिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पी. गुनासेकरन [(2015) 2 SCC 610] के मामले में निम्नानुसार माना :-

“12. सुस्थापित स्थिति के बावजूद, यह देखना कष्टदायक रूप से परेशान करने वाला है कि उच्च न्यायालय ने अनुशासनिक कार्यवाहियों में एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य किया है, यहाँ तक कि जांच अधिकारी के समक्ष मौजूद साक्ष्य का भी पुनर्मूल्यांकन किया है। आरोप 1 पर निष्कर्ष को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। अनुशासनिक कार्यवाहियों में, उच्च न्यायालय प्रथम अपील का दूसरा न्यायालय नहीं है और न ही कार्य कर सकता है। उच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में, साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन का जोखिम नहीं उठाएगा। उच्च न्यायालय केवल यह देख सकता है कि क्या:

- (a) जांच किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित की गई है;
- (b) जांच उस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की गई है;
- (c) कार्यवाहियों के संचालन में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है;
- (d) प्राधिकारियों ने मामले के साक्ष्य और गुण-दोष से इतर कुछ बाहरी विचारों के कारण खुद को निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुँचने से अक्षम कर लिया है;
- (e) प्राधिकारियों ने खुद को अप्रासंगिक या बाहरी विचारों से प्रभावित होने दिया है;
- (f) निष्कर्ष, अपने प्रत्यक्ष रूप में ही, इतना पूर्णतः मनमाना और सनकपूर्ण है कि कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति कभी भी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता था;
- (g) अनुशासनिक प्राधिकारी स्वीकार्य और महत्वपूर्ण साक्ष्य को स्वीकार करने में त्रुटिपूर्ण रूप से विफल रहा था;
- (h) अनुशासनिक प्राधिकारी ने त्रुटिपूर्ण रूप से अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार किया था जिसने निष्कर्ष को प्रभावित किया;
- (i) तथ्य का निष्कर्ष किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

13. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत, उच्च न्यायालय निम्नलिखित नहीं करेगा:

(डी.बी. एसएडब्ल्यू/262/2025 एवं 1 अन्य इस मामले में दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

- (i) साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन;
- (ii) जांच के निष्कर्षों में हस्तक्षेप, यदि वह कानून के अनुसार संचालित की गई है;
- (iii) साक्ष्य की पर्याप्तता की जांच;
- (iv) साक्ष्य की विश्वसनीयता की जांच;
- (v) हस्तक्षेप, यदि कुछ कानूनी साक्ष्य मौजूद हैं जिन पर निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं।
- (vi) तथ्य की त्रुटि को सुधारना, चाहे वह कितनी भी गंभीर क्यों न प्रतीत हो;
- (vii) दंड की आनुपातिकता की जांच करना, जब तक कि यह उसकी अंतरात्मा को झकझोर न दे।”

14. प्रस्तुत मामले में उपरोक्त मापदंड को लागू करते हुए, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि यद्यपि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विभागीय जांच की कार्यवाहियों में कुछ प्रक्रियात्मक त्रुटियों को इंगित करने का प्रयास किया है, लेकिन उनमें से कोई भी इस न्यायालय को जांच रिपोर्ट और अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए आश्वस्त नहीं करती है। जांच एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक सेवा विनियमों के अनुसार संचालित की गई है। याचिकाकर्ता को अपना बचाव प्रस्तुत करने के कई अवसर प्रदान किए गए, जो प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के अनुपालन को प्रदर्शित करता है। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के साथ बैंक के अनुपालन को दर्शाता है, बल्कि अपनी स्थिति का बचाव करने में याचिकाकर्ता की सक्रिय भागीदारी को भी रेखांकित करता है। तथ्य का जो निष्कर्ष निकाला गया है वह रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न

न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से जारी किए गए स्पष्ट दिशानिर्देशों को देखते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में उद्धृत निर्णय याचिकाकर्ता के हित के लिए किसी काम के नहीं हैं। अतः, जांच की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप की मांग करने वाली याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को खारिज किया जाता है।

15. इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया अगला मुद्दा याचिकाकर्ता को दिए गए दंड की मात्रा के लगाए गए आरोपों के असंगत होने के संबंध में है। इस संबंध में, मैंने प्रतिवादी बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू 2010 के सेवा विनियमों का अवलोकन किया है, जिसके अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि उसमें इस संबंध में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है कि कौन सा कदाचार बड़ी शास्ति को आकर्षित करेगा और कौन सा कदाचार छोटी शास्ति को आकर्षित करेगा। उपरोक्त की अनुपस्थिति में यह अनुशासनिक प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह यह तय करे कि किस प्रावधान के तहत एक अपचारी को दंडित किया जाना है। याचिकाकर्ता को जारी आरोप-पत्र में याचिकाकर्ता के विरुद्ध 5 आरोप लगाए गए हैं। इन 5 आरोपों में से, आरोप संख्या 2 से 5 प्रत्यक्षतः इतनी गंभीर प्रकृति के नहीं हैं जो नियोक्ता को अपचारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए प्रेरित कर सकें। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आरोप संख्या 1 था जिसके लिए याचिकाकर्ता को सेवा लाभों के बिना अनिवार्य सेवानिवृत्ति का कठोर दंड दिया गया है। आरोप संख्या 1 के केवल पढ़ने से ही यह प्रकट हो रहा है कि याचिकाकर्ता ने शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए के.सी.सी. ऋण स्वीकृत और संवितरित करने की अपनी प्राधिकृत सीमा का उल्लंघन किया, जो प्रतिवादी बैंक द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.10.2014 का उल्लंघन था। यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि उनके विरुद्ध धन के दुरुपयोग,

(डी.बी. एसएडब्ल्यू/262/2025 एवं 1 अन्य इस मामले में दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

धोखाधड़ी, जालसाजी, गबन, जाली दस्तावेजों के निर्माण या उपरोक्त कृत्य के बदले अवैध प्रतिफल प्राप्त करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि बैंकों के अधिकारियों पर लक्ष्यों को पूरा करने का अत्यधिक दबाव होता है, फिर भी किसी परिपत्र के उल्लंघन को अनदेखा नहीं छोड़ा जा सकता है। हालांकि, किसी अपचारी को दंड देते समय, मामले की परिस्थितियों, आरोप की गंभीरता और अपचारी के पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखना होता है। अनुशासनिक प्राधिकारी अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है और दंड की मात्रा के संबंध में उसके पास विवेक होता है। हालांकि, ऐसा विवेक पूरी तरह से बेलगाम नहीं है। दंड अपचार के अनुपात में दिया जाना चाहिए। धन के दुरुपयोग या व्यक्तिगत लाभ जैसे आरोपों की अनुपस्थिति याचिकाकर्ता के मामले को उन गंभीर कदाचारों से महत्वपूर्ण रूप से अलग करती है जो आमतौर पर कठोर शास्तियों को न्यायसंगत ठहराते हैं। आनुपातिकता का सिद्धांत यह आवश्यक बनाता है कि दंड कदाचार की गंभीरता के अनुरूप हो। यहाँ, याचिकाकर्ता के कृत्य, यद्यपि प्रक्रियात्मक सीमाओं के उल्लंघन में थे, लेकिन उनमें किसी भी आपराधिक इरादे या बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिक्रियाओं का अभाव है। इसलिए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित करना असंगत प्रतीत होता है। इस न्यायालय की राय में, प्रस्तुत मामले में याचिकाकर्ता के अपचार के लिए दिया गया दंड बहुत कठोर है और आरोपों की गंभीरता के अनुसार नहीं है, जिसने इस न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दिया है।

16. याचिकाकर्ता ने उसी बैंक के अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए कई आदेशों को उद्धृत किया है, जिसमें अपचारियों के विरुद्ध आरोप प्रस्तुत मामले की तुलना में बहुत अधिक गंभीर हैं, हालांकि, फिर भी संबंधित व्यक्तियों को कम दंड देते हुए सेवा में बनाए रखा

(डी.बी. एसएडब्ल्यू/262/2025 एवं 1 अन्य इस मामले में दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

गया है। उन मामलों में आरोपित आरोप बैंक के कार्य क्षेत्र से बाहर के व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत करने, जाली हस्ताक्षर करके खातों से पैसे निकालने, एटीएम कार्ड का अनधिकृत उपयोग, खाता विवरण बदलकर गबन और धोखाधड़ी करने, अनधिकृत रूप से केसीसी खाते की सीमा को संशोधित करने, बैंक के परिपत्रों का उल्लंघन करने, बाहरी व्यक्ति के साथ बैंक का पासवर्ड साझा करने, बाहरी व्यक्ति को बैंक के कंप्यूटर पर कार्य करने देने, ऋण राशि का दुरुपयोग होने देने, ऋण स्वीकृत करने के लिए अनधिकृत बिचौलियों से कमीशन लेने, सहमति के बिना तीसरे पक्ष के खाते में ऋण राशि स्थानांतरित करने, क्षेत्रीय कार्यालय में ऋणों के बीएमडीपी को अभिलिखित न कराने, किफायती आवास ऋणों को निर्माण की प्रगति के अनुसार संवितरित करने के बजाय एकमुश्त संवितरित करने, साम्यापूर्ण बंधक के बिना ऋण संवितरित करने की प्रकृति के था। यद्यपि यह सच है कि याचिकाकर्ता विभिन्न मामलों में अपचारियों के मुकाबले अनुशासनिक जांच में दंड के मामले में समानता का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि अनुशासनिक प्राधिकारी को, जिसके पास अर्ध-न्यायिक शक्तियां हैं, अपने में निहित विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना होता है न कि इस तरीके से कि कम गंभीर आरोपों के लिए एक कठोर दंड दिया जाए और अधिक गंभीर आरोपों के लिए किसी व्यक्ति को छोटी शास्ति दी जाए। प्रतिवादी बैंक के भीतर उद्धृत पूर्वादाहरण अधिक गंभीर कदाचार के मामलों पर प्रकाश डालती हैं जिसके परिणामस्वरूप कम शास्तियां मिलीं। गंभीर अपराधों के प्रति यह तुलनात्मक उदारता बैंक के अनुशासनिक उपायों में निरंतरता पर सवाल उठाती है, जो याचिकाकर्ता की शास्ति के पुनर्मूल्यांकन के तर्क को सुदृढ़ करती है। उपरोक्त दृष्टान्तों ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने में

भी योगदान दिया है कि याचिकाकर्ता को दिया गया दंड अधिक है और आरोपों की गंभीरता के अनुपात में नहीं है।

17. आगे बढ़ने से पहले, विभागीय कार्यवाहियों में दंड की मात्रा में न्यायिक समीक्षा के दायरे के संबंध में प्रासंगिक कानून पर चर्चा करना उचित होगा।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नरेश चंद्र भारद्वाज बनाम बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य [एआईआर 2019 SC 2075] में, अनुशासनिक कार्यवाहियों में दंड के मामले में संवैधानिक न्यायालयों द्वारा न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे पर कानून की चर्चा करते हुए माना कि दंड की मात्रा के मुद्दे पर न्यायालयों का क्षेत्र बहुत सीमित है। यह अनुशासनिक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी होता है, जो किए गए कदाचार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दंड की प्रकृति का विनिश्चय करता है। इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि यदि दंड इतना असंगत है कि वह न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देता है तो न्यायालयों को इसमें हस्तक्षेप करने के प्राधिकार से वंचित कर दिया जाता है। सामान्यतः ऐसे मामलों में भी मामले को अनुशासनिक/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विचार के लिए वापस भेजना उचित हो सकता है। हालांकि, हस्तक्षेप का एक अन्य कारण वह हो सकता है जहाँ उठाया गया तर्क दंड में समानता का हो, लेकिन तब पूर्व-अपेक्षा यह होगी कि समानता अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए और सिद्ध किए गए आरोपों की प्रकृति और घटना के बाद कर्मचारी के आचरण में होनी चाहिए।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रणजीत ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य [(1987) 4 SCC 611]** में निम्नानुसार माना:-

(डी.बी. एसएडब्ल्यू/262/2025 एवं 1 अन्य इस मामले में दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

"न्यायिक समीक्षा सामान्य रूप से कहा जाए तो, किसी निर्णय के विरुद्ध निर्देशित नहीं होती है, बल्कि "निर्णय लेने की प्रक्रिया" के विरुद्ध निर्देशित होती है। दंड के चयन और मात्रा का प्रश्न कोर्ट-मार्शल की अधिकारिता और विवेक के भीतर है। लेकिन सजा अपराध और अपराधी के अनुकूल होनी चाहिए। यह प्रतिशोधात्मक या अत्यधिक कठोर नहीं होनी चाहिए। यह अपराध के प्रति इतनी असंगत नहीं होनी चाहिए जो अंतरात्मा को झकझोर दे और अपने आप में पूर्वाग्रह का निश्चयक साक्ष्य बन जाए। आनुपातिकता का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा के एक भाग के रूप में, यह सुनिश्चित करेगा कि एक ऐसे पहलू पर भी जो अन्यथा कोर्ट-मार्शल के अनन्य क्षेत्र के भीतर है, यदि न्यायालय का निर्णय सजा के संबंध में भी तर्क की घोर अवहेलना है, तो सजा सुधार से अछूती नहीं रहेगी। अतार्किकता और विकृति न्यायिक समीक्षा के मान्यता प्राप्त आधार हैं।"

20. **प्रेम नाथ बाली बनाम रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय एवं अन्य [एआईआर 2016**

SC 101] में, माननीय शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार माना:-

"24. यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि एक बार जब अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो यह नियुक्ति प्राधिकारी को तय करना होता है कि नियमों के अनुसार अपचारी कर्मचारी पर क्या दंड अधिरोपित किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी, आरोपों की प्रकृति और गंभीरता, जांच अधिकारी के निष्कर्षों, अपचारी कर्मचारी के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड और अपचारी से संबंधित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, अपने विवेक का प्रयोग करता है और फिर नियमों में यथा प्रावधानित दंड अधिरोपित करता है।

25. एक बार जब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दंड (चाहे छोटा हो या बड़ा) देने में ऐसे विवेक का प्रयोग कर लिया जाता है, तो न्यायालय दंड की मात्रा में हस्तक्षेप

करने में धीमे होते हैं और केवल दुर्लभ और उपयुक्त मामलों में ही दंड को प्रतिस्थापित करते हैं।

26. ऐसी शक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब न्यायालय यह पाता है कि अपचारी कर्मचारी यह सिद्ध करने में सक्षम है कि उस पर अधिरोपित दंड पूरी तरह से अनुचित, मनमाना और सिद्ध आरोपों की गंभीरता के असंगत है, जिससे न्यायालय की अंतरात्मा झकझोर उठती है या जब यह नियमों के उल्लंघन में पाया जाता है। न्यायालय, ऐसे मामलों में, मामले को नियुक्ति प्राधिकारी को नियमों के अनुसार अपचारी कर्मचारी को मूल रूप से दिए गए दंड के स्थान पर कोई अन्य दंड अधिरोपित करने के लिए वापस भेज सकता है या नियुक्ति प्राधिकारी को वापस भेजने के बजाय स्वयं दंड को प्रतिस्थापित कर सकता है।"

21. प्रस्तुत मामले पर वापस आते हुए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड न केवल याचिकाकर्ता के वृत्ति (करियर) को अचानक समाप्त कर देता है बल्कि उसे सेवा लाभों से भी वंचित कर देता है, जिससे गंभीर वित्तीय और व्यावसायिक कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। अनुशासन को बनाए रखने के साथ-साथ याचिकाकर्ता को एक सम्मानजनक व्यावसायिक स्थिति बनाए रखने की अनुमति देने के लिए एक अधिक संतुलित दंड ही पर्याप्त होगा। रणजीत ठाकुर (उपरोक्त) और नरेश चंद्र भारद्वाज (उपरोक्त) जैसे मामलों का संदर्भ न्यायपालिका के इस रुख को रेखांकित करता है कि दंड इतना असंगत नहीं होना चाहिए कि न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दे। ये पूर्व-निर्णय याचिकाकर्ता की शास्ति में नरमी बरतने के तर्क को बल देती हैं। एक प्राधिकारी, जिसके पास कुछ बिंदुओं पर विवेक है, उसे अपने विवेक का प्रयोग अपनी सनक और कल्पनाओं के अनुसार, मनमाने, विकृत या सनकपूर्ण ढंग से और प्रत्यक्ष रूप से भेदभावपूर्ण तरीके से करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, बल्कि ऐसे विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए।

(डी.बी. एसएडब्ल्यू/262/2025 एवं 1 अन्य इस मामले में दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए उसी का संदर्भ लें)

विवेक के प्रयोग में समरूपता और समान व्यवहार दिखाया जाना चाहिए। प्रतिवादी बैंक भारत सरकार की एक इकाई होने के नाते उससे उपरोक्त मानदंडों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि अनुशासनिक कार्यवाहियों में दंड की मात्रा के मामले में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है और हस्तक्षेप कम से कम किया जाना चाहिए। हालांकि, वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जिसमें यह महसूस किया जाता है कि अपचारी को दिया गया दंड अत्यधिक, मनमाना और आरोपों की गंभीरता के पूर्णतः असंगत है, जो न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरता है और उसमें हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करता है।

22. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27.06.2022 और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2022 को याचिकाकर्ता को 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' का दंड देने और उसकी पुष्टि करने की सीमा तक निरस्त किया जाता है। मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी को विभागीय जांच के अनुसरण में दिए गए दंड की मात्रा के संबंध में मामले पर पुनर्विचार करने और याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाने या सेवा से बर्खास्तगी के अलावा, आरोपों की गंभीरता के अनुरूप उपयुक्त दंड देने वाला एक नया आदेश पारित करने के लिए प्रेषित किया जाता है।

23. प्रतिवादीगण द्वारा इस आदेश के अनुपालन की कार्यवाही, आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर सुनिश्चित की जाए।

(फरजंद अली), जे

प्रमोद/-

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उसकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate